

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला-हरदा, (म.प्र.)

Email: dmharda@nic.in,

क्रमांक /13006/एस.सी-01/2020

हरदा, दिनांक//11/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश दिनांक 28.09.2020 से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रकरणों हेतु अग्निशमन अधिकारी घोषित किया गया है। सूर्योदय ग्लोबल अकेडमी, हरदा खंडवा हाईवे, ग्राम मुहालकलों, तहसील खिरकिया जिला हरदा द्वारा ऑनलाईन आवेदन <http://www.mpenagarpalika.gov.in> पर दर्ज कराया जा चुका है। जिसका Request ID 6000006877 है।

सूर्योदय ग्लोबल अकेडमी, हरदा खंडवा हाईवे, ग्राम मुहालकलों, तहसील खिरकिया जिला हरदा द्वारा चाही गयी एनओसी के संबंध में तहसीलदार खिरकिया से जांच करायी गयी दिनांक 06.11.2020 को प्राप्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सूर्योदय ग्लोबल अकेडमी, हरदा खंडवा हाईवे, ग्राम मुहालकलों, तहसील खिरकिया जिला हरदा को फायर एनओसी दिया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

तहसीलदार खिरकिया से प्राप्त स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन में 28 क्लॉसरूम, भवन 2 मजिला जिसमें नीचे भूतल पर 06 अग्निशामक यंत्र, 08 रेत बाल्टी एवं भवन की चारों दिशा में निकासी द्वार होने रेत एवं पानी की बाल्टी पर्याप्त मात्रा तथा नीचे की ओर 02 नलकूल के आधार पर सूर्योदय ग्लोबल अकेडमी, हरदा खंडवा हाईवे, ग्राम मुहालकलों, तहसील खिरकिया जिला हरदा को फायर को अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रावधान एवं शर्तों के अधीन प्रदाय की जाती है।

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
जिला-हरदा

15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.
19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB.
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area.

1. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
3. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ. एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।
5. अतः तहसीलदार खिरकिया से प्राप्त स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रोविजनल अग्निशमन फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(जिला दंडाधिकारी महो० द्वारा अनुमोदित)

11/11/2020
(जे.पी.सियाम)

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
जिला-दुर्ग